

पुलिस के एजेंडा में चोर पकड़ा ही न हो तो वह कैसे पकड़ा जा सकता है तमाम सुबूत दिए जाने के बावजूद भी एक माह में पुलिस के हाथ खाली

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) गतांक में अपराधी पढ़ रहे थारी, पुलिस की ज्ञात अपराधियों से यारी शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि सेक्टर सात की मार्केट में दिनांक 13 मई की शाम आठ बजे एडवोकेट शिव कुमार जोशी की जेब से उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। करीब एक माह बीत जाने के बावजूद अभी तक न कोई गिरफ्तारी न कोई बरामदगी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी हो भी कैसे सकती है जब पुलिस ने ठान ही रखा हो कि काम नहीं करना। जी हाँ, इस मामले में पुलिस का व्यवहार ऐसा ही कुछ साकित करता है। एडवोकेट जोशी जब पुलिस चौकी गए थे तो वहां मौजूद एसआई वेदराम ने कहा कि वह गुमशुदगों की रपट लिख सकता है चोरी का कैस दर्ज नहीं करेगा। जोशी के बहुत जोर देने पर वेदराम ने उन्हें समझाया कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे चोर को पकड़ने का और चारी का मुकदमा दर्ज करने के बाद वे केस का अनदेस भी दिखा सकते हैं। क्या कामल का तर्क है, यानी बिना केस दर्ज किए तो वह चोर को पकड़ने की बात करते हैं और मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद वह अनदेस होने का विकल्प बताते हैं। खैर, काफी जोशीहद के बाद रात दो बजे एफआईआर नंबर ३७२ दर्ज कर ली गई।

चोरों के इस गिरोह के लिए इतना समय काफी लाभकारी सिद्ध हुआ। पुलिस की इस काफिली एवं हरामखोरी का परा लाभ उठाते हुए चोर गिरोह ने जोशों के तीन बैंक खातों से 1,36,520 रुपये साफ कर दिए जिसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई द्वारा बचाया जा सकता था।

अगली सुबह जब जोशी को अपने अकाउंटों में हुई सेंधमारी की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया; लेकिन पुलिस इसके प्रति पूरी तरह से उदासीन बनी रही। उधर जोशी ने अपनी सक्रियता एवं सूचिबद्ध से उस जगह का पता लगा लिया जहां से चोर ने चोरी के पैसे से पहली खरीदारी की थी और वहां से चोर का फोटो भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने पता लगा लिया कि चोर गिरोह के दो खाते दिल्ली में हैं जहां पूरा पैसा ट्रांसफर हुआ था। एक खाता नंबर 918020110872063 यूटीआई बैंक, आरपोके जीएसटी सुविधा केंद्र के नाम से है। जो कि एस 415 में रोड, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, नियर मदर डेयरी नई दिल्ली पर स्थित है। इसका लैंड लाइन नंबर 01135725691 और मोबाइल नंबर 9968398314 है।

जोशी ने जब इस नंबर पर बात की तो उसने स्वीकार किया कि हां उसके खाते में 83,700 की राशि आई है जो उसने कमीशन काट कर रकम मांगने वाले को सौंप दी है। दूसरा खाता नंबर 9744201000007 पेटीएम बैंक नोएडा ब्रांच में 30,600 की रकम पहुंची। खाता धारी का नाम मो. जाहिद शांप नंबर सी 116, मेन मार्केट समोसा चौक, नई दिल्ली है।

इतनी तपतीश तो खुद जोशी जी ने ही कर ली जबकि निठल्ली पुलिस कुछ न कर सकी। हां, जोशी द्वारा यह सारी कहानी बताने के बाद पुलिस वाले जरूर उक पतों पर 'मुलाकात' करने पहुंच गए और खाली एक नोटिस देकर चले आए, बदले में क्या लेकर आए ये तो वही जानूँ। पछताछ करने पर पुलिस चौकी वालों ने जोशी को बताया कि यह साइबर क्राइम का बड़ा टैक्निकल मामला है जो उनकी समझ से बाहर है। इसलिए बेहतर होगा कि जोशी जी जाकर उचाधिकारियों से मिलें और केस को अन्यत्र ट्रांसफर करवा लें।

सीपी साहब ने वेदराम जैसा नायाब हीरा सेक्टर सात की चौकी में छिपा कर क्यों रखा है? इसे तो पूरी जिला पुलिस को ट्रैनिंग देने का काम सौंपा जाना चाहिए। बेशक हर चौकी धाने में एफआईआर लिखे जाने के बक्त ऐसे ही इसे होते हैं लेकिन वेदराम ने, शिकायतकर्ता को समझने के लिए जो दलील दी है उसका कोई मुकाबला नहीं।

प्लास्टिक बैनर-प्लेकार्ड से दिया प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ का नारा

सीएमओ कार्यालय में ऐसे मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस

फरीदाबाद (फरीदाबाद) काम नहीं केवल नारों में विश्वास रखने वाली खट्टर सरकार के अधिकारी भी इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ थीम के प्रति जागरूक करने के लिए प्लास्टिक के बैनर-प्लेकार्ड का इस्तेमाल कर अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों की इतिहासी कर ली।

स्मार्ट सिटी होने के कारण फरीदाबाद में प्लास्टिक, पॉलिथीन से बनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है। पांच जून को सभी विभागों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सीएमओ कार्यालय में भी इस दिवस की खानापूर्ति की गई। कायालय परिसर में दो जगह प्लास्टिक के बैनर लगाए गए जिनमें संदेश छपा था विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। यही नहीं इस मौके पर कर्मचारी प्लास्टिक से बनी तख्तियां भी लिए थे, जिन पर पर्यावरण संरक्षण संबंधित नारे छपे हुए थे। इस दौरान अधिकारियों ने दो पौधे रोप कर पर्यावरण संरक्षण की रस्म अदा की।



सीपी विकास अरोड़ा : धन्य है फरीदाबाद की 'कर्मठ' एवं 'ईमानदार' पुलिस

अवैध यूनिटों से होती है काली कमाई इसलिए नहीं होती कार्रवाई

सरूरपुर में अवैध इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण नियंत्रण, नगर निगम, डीटीपी शिकायत मिलने पर भी नहीं करते कार्रवाई



हैं कि पूरे शहर में कड़ा-कबाड़ जलाया जा रहा है लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। संदर्भवश बताते चले थे कि शहर के बीच स्थित नीलम प्लाइओवर के नीचे इसी तरह कबाड़ जलाने का काम होता था और इसी आग जलाने के कारण पुल भी टूट गया था। यहां शासन प्रशासन को कबाड़ जलाया जाना नजर नहीं आता था।

वरुण श्योकंद ने कबाड़ जलाए जाने के खिलाफ 2022 में एनजीटी में शिकायत की थी। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था। एनजीटी के पहले से भी निर्देश हैं, बावजूद इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हीलाहवाली वाला रवैया अपनाए हुए हैं।

मालूम हो कि सरूरपुर में चल रही अवैध इंडस्ट्री में से अनेक तो सरकारी जमीन पर कबड़े पैमाने पर जलाए जाने से यहां का पानी और हवा दोनों ही गंभीर स्तर तक दूषित हो चुके हैं। उनका आरोप है कि फरीदाबाद के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जनबूझ कर इस सब की अनदेखी करते हैं क्योंकि इस वेस्ट जलाने वाले सुविधा शुल्क चुकते हैं। शिकायत मिलने पर सुविधा शुल्क के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, यही वजह है कि शिकायतें होते रहने के बावजूद यह धंधा बढ़ता ही जा रहा है। हां, नौकरी सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई के नाम पर नाटिस थमा दी जाती है, मामला ठंडा पड़ने पर फाइल भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है।